न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
14 / 03 / 2023	30.10.2023	20.11.2024

1. मनोहरलाल,
2. जगमालसिंह पुत्रान तोताराम जाति अहीर निवासीगण ग्राम माजरा महनिया तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा (राज०)

अपीलान्टान

बनाम

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राज०) सत्यमेव जयते

1. दौला पुत्र श्री तेजा (फौत)

1/1 विधादेवी पत्नी स्व० दौला

1/2 बालादेवी पत्नी स्व० बाबूलाल पुत्र स्व० दौला

1/3 देशराज,

1/4 हंसराज पुत्रान बाबूलाल पुत्र स्वर्गीय दौला जाति अहीर निवासीगण ग्राम माजरा महनिया तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा

2. संतोषदेवी पत्नी श्री सरजीत,
3. राहुल पुत्र सरजीत जाति अहीर साकिनान ग्राम माजरा महनिया तहसील तिजारा
4. मनिता पुत्री सरजीत पत्नी पवीत कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा महनिया तहसील तिजारा जिला अलवर, हाल निवासी फिदेडी पोस्ट फिदेडी तहसील रेवाडी जिला रेवाडी
5. नीलम पुत्री सरजीत पत्नी संदीप कुमार जाति अहीर निवासी ग्राम नूरनगर तहसील किशनगढ़–बास जिला खैरथल–तिजारा
6. निरमा पुत्री सरजीत पत्नी योगेश कुमार जाति अहीर निवासी नूरनगर तहसील किशनगढ़– बास जिला खैरथल–तिजारा
7. महावीर पुत्र रामपत,
8. बहादुर पुत्र रामपत,
9. मंगतू पुत्र रामसिंह,
10. रामौतार पुत्र रामसिंह,
11. सुबेसिंह पुत्र रामसिंह,
12. भूपसिह पुत्र रामसिंह जाति अहीर निवासीगण ग्राम माजरा महनिया पोस्ट भिण्डूसी तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा
13. औमप्रकाश पुत्र बनवारीलाल,
14. रतनसिंह पुत्र राजाराम,
15. धर्मपाल पुत्र राजाराम जाति अहीर निवासी ग्राम माजरा महनिया तहसील तिजारा जिला खैरथल–तिजारा
16. तहसीलदार कम मैनेंजिग ऑफिसर, तिजारा जिला खैरथल–तिजारा

जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल-तिजारा (राज०)

रेस्पोडेन्टान

प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963

उपस्थितः–

01. श्री अरविन्द यादव — वकील अपीलान्टान

02. श्री जर्नादन शर्मा — रेस्पोडेन्ट संख्या 1/1, 1/2, 1/3, 1/4

03. श्री दिनेश यादव — रेस्पोडेन्ट संख्या 2 लगायत 5, 9 लगायत 15

--:: निर्णय ::--

अपीलान्ट ने यह अपील विरूद्व निर्णय दिनाक 22.09.1987 व स्थाई पटटा न0 1487 दिनाक 20.10.1987 जिसके द्वारा रेस्पोडेन्ट तहसीलदार कम मैंनेजिंग आफिसर तिजारा ने तथ्यो व विधि के विरूद्व साबिक आराजी खसरा न0 90 मिन रकबा 3 बिघा 8 बिस्वा वाके ग्राम भिण्डूसी तहसील तिजारा का पटटा जारी किया गया है, को निरस्त किये जाने हेतु पेश की गयी है, जो न्यायालय में विचाराधीन है, विचाराधीन अपील का विधिवत निस्तारण किये जाने से पूर्व वकील रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पर बहस सुने जाने का अनुरोध किया गया। जिस पर वकुलाय की बहस सुनी गयी।

प्रस्तुत अपील में विद्वान वकील अपीलान्टान द्वारा अपनी बहस में अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुये निवेदन किया है, कि मिन अपीलान्ट के विरूद्व रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा राजस्व वाद पेश कर अपील में वर्णित आराजीयात की बाबत झूठे वो गलत मुकदमे किये जिस पर मिन अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड देखना पडा तो सर्वप्रथम 23.11.2016 को जानकारी में आया। उसी दिन दिनाक 23.11.2016 को रिकार्ड पटटा वो आदेश हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया एवं उसी दिनाक 23.11.2016 को ही नकल प्राप्त की गयी। दिनाक 24.11.2016, 25.11.2016 को कानूनी सलाहकार की सलाह ली एवं 26.11.2016 वो 27.11.2016 का राजकीय अवकाश हो जाने के कारण बिना देरी किये यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है। अपील किये जाने में हुये विलम्ब को माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 पृथक से अपील के साथ संलग्न है, व अपील अन्दर मियाद शुमार फरमायी जावे। विद्वान वकील अपीलान्टान द्वारा अपने कथन पुष्टी हेतु माननीय न्यायालयो की नजीरे कमशः डी.एन.जे (एस.सी.) 2020(4) पेज 1236 बअनुंवान vetindia pharmaceuticals limited u\s state of uttar pradesh, डी.एन.जे (एस.सी.) 2021 (4), पेज 1167 बअनुंवान यशवन्तराव भाषकरराव देशमुख बनाम रधुनाथ किशन सिधें, डी.एन.जे (राज.) 2014(3) 1136 एस. बी. सिविल प्रथम अपील न0 674/2011 बअनुवान

जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा

गोविन्द सिंह परिहार बनाम रामविलास वगै0, एस. बी. सिविल विविध अपील न0 6540/2017 बअनुवान खुशीराम बनाम श्रीमती मंजू देवी वगै0 पेज 1528

विद्वान वकील रेस्पोडेन्टान ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए निवेदन किया है, कि अपीलान्टान के द्वारा यह अपील मियाद के बाहर पेश की है, प्रस्तुत अपील करीब 28 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, जो चलने योग्य नही है, प्रस्तुत अपील मियाद की बिन्दू पर ही खारिज की जावे। पक्षकारान एक ही गांव के रहने वाले है, राजस्व रिकार्ड पूर्व में ही इनके पास उपलब्ध था, जिसकी जानकारी अपीलान्टान को थी, अपीलान्टान ने अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में कोई युक्तियुक्त कारण भी नही बताये है। अपीलान्टान ने सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 23.11.2016 गलत दर्ज की गयी है, जबकि अपीलान्टान को उक्त रिकार्ड की जानकारी शुरू से रही है, ऐसी सूरत में अपीलान्टान का प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपने कथन पुष्टी हेतु माननीय न्यायालयो की नजीरे कमशः special leave petition (civil}no 27879\2018, एस. बी. सिविल द्वितीय अपील संख्या 159/2020, जेठाराम वगै0 बनाम तरीदेवी, अपील/1279/2019 बंशी बनाम भैरू वगै0 पेज संख्या 278, 2024 (1) आर.आर.टी.653

वकील अपीलान्टान/वकील रेस्पोडेन्टान की प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 की बहस पर मनन किया। वकील अपीलान्टान के द्वारा मुख्य कथन किया है, कि मिन अपीलान्टान के विरूद्व रेस्पोडेन्ट ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी तिजारा के यहा राजस्व वाद पेश कर अपील में वर्णित आराजीयात की बाबत झूठे वो गलत मुकदमे किये जिस पर मिन अपीलान्ट को राजस्व रिकार्ड देखना पडा तो सर्वप्रथम 23.11.2016 को जानकारी में आया। उसी दिन दिनाक 23.11.2016 को रिकार्ड पटटा वो आदेश हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया एवं उसी दिनाक 23.11.2016 को ही नकल प्राप्त की गयी। दिनाक 24.11.2016, 25.11.2016 को कानूनी सलाहकार की सलाह ली एवं 26.11.2016 वो 27.11.2016 का राजकीय अवकाश हो जाने के कारण बिना देरी किये यह अपील न्यायालय के समक्ष पेश की गयी है। वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है, कि अपीलान्टान के द्वारा यह अपील मियाद के बाहर पेश की है, प्रस्तुत अपील करीब 28 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, जो चलने योग्य नही है, प्रस्तुत अपील मियाद की बिन्दू पर ही खारिज की जावे। पक्षकारान एक ही गांव के रहने वाले है, राजस्व रिकार्ड पूर्व में ही इनके पास उपलब्ध था। जिसकी जानकारी अपीलान्टान को थी, अपीलान्टान ने अपने प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 में कोई युक्तियुक्त कारण नही बताये है। अपीलान्टान ने सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 23.11.2016 गलत दर्ज की गयी है, जबकि अपीलान्टान को उक्त रिकार्ड की जानकारी शुरू से रही है, ऐसी सूरत में अपीलान्टान का प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 खारिज फरमाया जावे। वकील अपीलान्टान द्वारा यह अपील 28 वर्ष पश्चात पेश की गयी है, विलम्ब का कोई युक्तियुक्त कारण भी अंकित नही किया गया है, अत्यधिक विलम्ब के मामलो में विलम्ब का कारण दिन-प्रतिदिन का विवरण पेश किये जाने का प्रावधान है, किन्तु वकील अपील अपीलान्टान के द्वारा ऐसा कोई ठोस प्रमाण/विवरण/साक्ष्य प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद

जिला कलेक्टर
खैरथल-तिजारा

न्यायालय जिला कलेक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल-तिजारा (राज0)

अधिनियम के साथ पेश नही किया गया है, जिसके अभाव में प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 के साथ पेश शपथ में में वर्णित तथ्यो पर विश्वास किये जाने योग्य नही है, अपीलान्टान के द्वारा यह अपील मियाद बाहर पेश किये जाने के कारण अपील अपीलान्टान खारिज किया जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट मियाद के बिन्दू पर खारिज की जाती है, निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड के साथ भिजवायी जावे। पत्रावली फैशल शुमार को नमबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 20.11.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राज0)

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
खैरथल-तिजारा (राज0)